तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित :
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी अनुपस्थित

दिनांक : 3.7.2023

निर्णय

यह निगरानी अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 38 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 25–8–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी मांगिया ने तहसीलदार कपासन के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम धमाणा की आ0नं0 4611, 4612, 4644 कुल किता 3 रकबा 1.30 हेक्टर भूमि मांगिया के खातेदारी में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें 0.90 हेक्टर भूमि मांगिया के कब्जे में है तथा आ0नं0 4644 रकबा 0.40 हेक्टर पर मांगू आदि का कब्जा है अतः उक्त भूमि का कब्जा दिलाया जावे। इस पर तहसीलदार कपासन ने प्रकरण दर्ज कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के तहत कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी का कब्जा अप्रार्थी मांगिया को दिलाये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 22–1–2002 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार कपासन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विवादग्रस्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचाराधीन वाद में जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक धारा 183 बी के तहत कार्यवाही की जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस बाबत पूर्ण रूप से जांच कर उसके पश्चात 183 बी के तहत उचित आदेश पारित करें। इस पर तहसीलदार कपासन ने प्रकरण पुनः दर्ज कर दिनांक 5–10–2002 को उपखण्ड अधिकार कपासन के न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से कार्यवाही ड्रॉप करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी मांगिया द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–8–2004 द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार कपासन के आदेश दिनांक 5–10–2002 को निरस्त कर तहसीलदार कपासन को आदेश दिया कि वह अप्रार्थी / अपीलांट को उसके खाते की आ0नं0 4633 रकबा 0.40हेक्टर भूमि का कब्जा दिला कर पालना रिपोर्ट पेश करे। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 25–8–2004 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी को पूर्व में रजि.ए.डी.नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि नियमित वाद के चलते सरसरी कार्यवाही ड्रॉप नहीं की जा सकती है तो पुनः तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर आदेश हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इसी बिन्दु के आधार को बदल कर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण को बेदखल करने के आदेश पारित करने में न्यायिक भूल की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत वाद संख्या 118 / 2002 में सहायक कलक्टर कपासन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2003 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2005 द्वारा अस्वीकार कर दिया एवं उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2005 के विरूद्ध प्रार्थीगण / अपीलांट्स द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील संख्या 3785 / 2006 आज खारिज की जा चुकी है। ऐसे में इस निगरानी में अब कोई सार नहीं रह जाता है। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	